निर्णय बाईजलास श्री संतोष कुमार मीना (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या : 66/13
दायरा दिनांकः:

उनवान

गुलाब बाई पत्नी श्यामलाल जाति ब्राम्हण निवासी बारां – मृतक

1/1 प्रबल कुमार पुत्र चन्द्र प्रकाश जाति ब्राम्हण ना.बा. जर्ये वली पिता चन्द्र प्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति ब्राम्हण नि. सोरखण्ड कलां तहसील अन्ता जिला बारां।

– प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति धाकड नि. आमापुरा, बारां।
2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मण जाति धाकड नि. आमापुरा, बारां।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।
4. सोसर बाई बेवा बद्रीलाल जाति ब्राम्हण नि. श्रीजी का चौक, बारां।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(बी) **RTAct**

उपस्थित :–

1. श्री महेश प्रकाश गौतम एड. प्रार्थी
2. श्री बृजराज किशोर शर्मा एड. अप्रार्थी

::: निर्णय :::

दिनांक : 22.2.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आमापुरा तहसील बारां हाल ख. नं. 133 रकबा 1.04 है., 135 रकबा 0.12 है., 136 रकबा 0.27 है. कुल 3 किता 1.43 है. स्थित है जो वर्तमान अप्रार्थी 1 व 2 के खाते दर्ज है। उपरोक्त आराजी पूर्व में ख.नं. 106 दोहली दावा 15 बीघा 6 बिस्वा थी, जो सीताराम पुत्र नन्नूराम व बद्रीलाल पुत्र घांसीलाल ब्राम्हण के खाते जमाबंदी सम्वत् 2012–15 में दर्ज थी। उक्त आराजीयात सीताराम व बद्रीलाल काश्त करते आ रहे थें। सीताराम ने बद्रीलाल को गोद लिया हुआ है। सीताराम व बद्रीलाल का स्वर्गवास हो गया है। सोसर बाई बेवा बद्रीलाल व गुलाब बाई बेवा श्यामलाल ही उनके एक मात्र जायज वारिस है तथा दोनों महिलाओं का अज्ञानता व अनपढ होने का लाभ उठाते हुए 1958 में माफी रिज्यूम के समय किशनलाल व लक्ष्मण पिसरान हीरालाल धाकड नि. आमापुरा ने उक्त आराजी का राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा लिया है। अप्रार्थी 1 किशनलाल का पुत्र है व अप्रार्थी 2 लक्ष्मण का पुत्र है। जबकि प्रार्थीयां व अप्रार्थी 4 ने कभी किशनलाल व लक्ष्मण को उक्त आराजी बाबत् अधिकार नही दिए और राजस्व अधिकारियों ने भी तत्कालीन समय में कब्जे बाबत् कोई जांच नही की। मूल खातेदार सीताराम व बद्रीलाल के स्वर्गवास के बाद से ही प्रार्थियां व

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

अप्रार्थियां 4 उक्त आराजी की खातेदार कृषक काबिज चली आ रही है। गत वर्ष उन्हौने बाबूलाल व ओम प्रकाश अप्रार्थीगण को उक्त आराजी मुनाफा काश्त पर दी थी जिन्हौने इस कृषि वर्ष में प्रार्थियां को कब्जा सुपुर्द नही किया और प्रार्थियां तथा अप्रार्थी 4 को बताया कि उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज हो गयी तथा प्रार्थियां ने राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त की। 01.07.1958 से आराजी रिज्यूम होकर किशनलाल व लक्ष्मण के नाम गलत रूप से दर्ज होने की जानकारी होने पर यह वाद पेश किया। अप्रार्थी 1 व 2 कभी उक्त आराजी पर काबिज काश्त नही रहे ना ही उनके पिता किशनलाल व लक्ष्मण उक्त आराजी पर काबिज रहे है। आराजी बद्रीलाल, सीताराम के खाते की थी जो गलत इन्द्राज होने के कारण अप्रार्थी 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थियां 80 वर्षीय वृद्ध एवं महिला है। आराजी को बाबूलाल, ओमप्रकाश ने मुनाफे पर लिया था तब से उन्हौने कब्जा सुपुर्द नही किया और अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे हे। रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हो जाने से आराजी उनके नाम दर्ज हो गयी इसलिए उक्त आराजी पर न्याय हित में वाद के निर्णय तक रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर अंकित किया कि उक्त आराजी अप्रार्थी 1 व 2 के पिता व उनके पूर्वज व हेसियत खातेदार के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उक्त आराजी पर सीताराम पुत्र नन्दूराम, बद्रीलाल पुत्र घांसीलाल का कभी कोई कब्जा काश्त नही था। उक्त माफी पुष्यार्थ थी जिस पर वक्त रिज्यूम माफी दिवस को किशनलाल व लक्ष्मण बहेसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त होने से कानून व उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है तथा उक्त दिवस से उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में नाम अंकित हो गया है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान अप्रार्थी 1 व 2 अंकित हो चुका है तथा उक्त आराजी गत 60 वर्ष से उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थियां का उक्त आरजी पर कभी कब्जा नही रहा, न ही कानूनन उक्त आराजी में उनका कोई अधिकार शेष रहा है ना ही प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद लाने के कानूनी अधिकार है। प्रार्थियां ने वाद बेरून मियाद प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व में बद्रीलाल व सीताराम के जमाबंदी 2012–15 में खातेदारी में दर्ज थी, तब से आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। सीताराम ने बद्रीलाल को गोद लिया हुआ है। सोसर बाई बेवा बद्रीलाल व गुलाब बाई बेवा श्यामलाल ही उनके वारिस रहे है। माफी रिज्यूम के समय किशनलाल व लक्ष्मण ने उक्त आराजी को राजस्व कर्मचारियों से मिली–भगत कर अपने नाम दर्ज करवाली है। प्रार्थियां व प्रार्थी 4 ने कभी किशनलाल व लक्ष्मण को उक्त आराजी बाबत् अधिकार नही दिए ना ही राजस्व अधिकारियों ने भी तत्कालीन समय कब्जे काश्त जांच की। खातेदार सीताराम व बद्रीलाल के स्वर्गवास के बाद से प्रार्थियां व अप्रार्थी 4 काबिज चली आ रही है। उक्त आराजी अप्रार्थीगण को मुनाफा काश्त पर दीथी। कब्जा वापस नही संभला रहे है। अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे है। कब्जा छोडने की कहने पर प्रार्थियां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की जिस पर कोतवाली बारां ने इस्तगासा 107–116 CPC पेश कर रखा है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे है। प्रार्थियां के हक–हकूक का निर्णय जो दावे में

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

होगा किन्तु तब तक प्रार्थियां व अप्रार्थीगण के हित सुरक्षित रहे। उक्त आराजी के कब्जे वाद विवाद होने से पुलिस द्वारा इस्तगासा पेश करने से आराजी इन मिडियो है। अतः आराजी पर रिसीवर तहसीलदार बारां को नियुक्त किया जावें। जवाब में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है तथा बहेसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है। प्रार्थियां या उनके पूर्वजों का कभी भी कब्जा नही रहा है। अप्रार्थी के पिताओं का आराजी पर रिज्यूम के समय कब्जा होने से अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता किशनलाल व लक्ष्मण का रहा है। उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रथम दृष्ट्या अप्रार्थीगण आराजी में खातेदार होने से आराजी पर रिसीवर कायम किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2012–15 में विवादित आराजी के साबिक नम्बर ख.नं. 106 दोहली रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा सीताराम पुत्र नन्नूराम व बद्रीलाल पुत्र घांसीलाल वगै. के द्वारा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहे है, सीताराम ने बद्रीलाल को गोद लिया। सीताराम व बद्रीलाल की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिस प्रार्थियां व अप्रार्थी 4 होना अंकित किया है। किन्तु उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थीगण 1 व 2 के खाते में दर्ज है। प्रार्थियां का कथन कि अप्रार्थी 1 व 2 को मुनाफा काश्त पर आराजी दी थी किन्तु उन्हौने कब्जा छोडने की मना करना बताया है। प्राथियां का कथन कि 1958 में माफी रिज्यूम हुई तब अप्रार्थी 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अपना नाम दर्ज करा लिया जबकि अप्रार्थीगण का कथन कि उक्त आराजी पर उन्ही का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में भी वही काबिज है। प्रार्थियां ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के विधि विरूद्व कब्जा छोडने की कहने पर लडाई–झगडा करते है। प्रार्थियां ने इसकी पुष्टि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विरूद्व शान्ति भंग होने बाबत् इस्तगासा पेश किया है। जिससे यह माना जावेगा कि आराजी इन मिडियों है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के उक्त वर्णित कथनों का निर्धारण तो दावे में वाद साक्ष्य ही प्रार्थी व अप्रार्थी के हक–हकूक का निर्धारण होना है किन्तु दावे में निर्णय तक प्रार्थी व अप्रार्थी के हित सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत इस्तगासा से आराजी इन मिडियों होना प्रतीत होता है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी के हित दावे के निर्णय तक सुरक्षित रह सके। उसके लिए विवादित आराजी पर तहसीलदार बारां को रिसिवर नियुक्त करना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम आमापुरा तहसील बारां 133 रकबा 1.04 है., 135 रकबा 0.12 है., 136 रकबा 0.27 है. कुल 3 किता 1.43 है. पर तहसीलदार बारां को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बारां उक्त आराजी को अपने कब्जे में लेकर आराजी की काश्त व्यवस्था अपने स्तर से दावा के निर्णय तक करते रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 22.2.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(संतोष कुमार मीना)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned by CamScanner